रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16112021-231143
CG-MH-E-16112021-231143

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943
No. 558] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 2 नवम्बर, 2021

सं. टीएएमपी/59/2021-एमबीपीटी—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के ट्रेसल में अर्थात ओल्ड पीर पाओ (ओपीपी), पहली रसायन बर्थ (एफसीबी), दूसरी रसायन बर्थ (एससीबी) के मार्गाधिकारों / विशेष मार्गाधिकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक के लिये दर अनुसूची के निर्धारण से संबंधित एमबीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/59/2021-एबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास --- **आवेदक**

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(नवम्बर, 2021 के 1 वें दिन पारित)

यह मामला मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के ट्रेसल में अर्थात ओल्ड पीर पाओ (ओपीपी), पहली रसायन बर्थ (एफसीबी), दूसरी रसायन बर्थ (एससीबी) के मार्गाधिकारों / विशेष मार्गाधिकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक के लिये दर अनुसूची के निर्धारण से संबंधित मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के 14 अक्तूबर 2021 के पत्र के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एमबीपीटी का प्रस्ताव संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश 2015 पर आधारित है। प्रस्ताव के बारे में संबंधित प्रयोक्ताओं / किरायेदारों / पट्टाधारकों के साथ परामर्श किया गया। मामले की प्रक्रिया के दौरान प्रयक्ताओं/ प्रयक्ता संगठनों ने अपने अपने निवेदन रखे। एमबीपीटी ने प्रयक्ताओं/ प्रयक्ता संगठनों की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर दिया।

3. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता और सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, इस प्राधिकरण ने मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के ट्रेसल में अर्थात ओल्ड पीर पाओ (ओपीपी), पहली रसायन बर्थ (एफसीबी), दूसरी रसायन बर्थ (एससीबी) के मार्गाधिकारों / विशेष मार्गाधिकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की दर अनुसूची के निर्धारण के लिये एमबीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक सकारण आदेश पारित किया।

4. यह प्राधिकरण चाहता है कि मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के ट्रेसल में अर्थात ओल्ड पीर पाओ (ओपीपी), पहली रसायन बर्थ (एफसीबी), दूसरी रसायन बर्थ (एससीबी) के मार्गाधिकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की दर निर्धारण करते हुए एमबीपीटी की निम्नलिखित मार्गाधिकार अनुसूचना को सकारण आदेश की अधिसूचना की प्रतीक्षा किये बिना, अधिसूचित किया जाये:

"पीर पाओ स्थित ट्रेसल में डाली गयी पाईपलाईन की मार्गाधिकार अनुसूची

(i). 01.10.2012 से 30.09.2017 तक पीर पाओ स्थित ट्रेसल में डाली गयी पाईपलाईन की विशेष मार्गाधिकार दरें

अवधि	**ओल्ड पीर पाओ जेटी और पहली रसायन बर्थ में डाली गयी 300 एम एम व्यास की पाईपलाईन की दर प्रति वर्ग मीटर /माह ₹ में. ₹.**	**दूसरी रसायन बर्थ में डाली गयी 300 एम एम व्यास की पाईपलाईन की दर प्रति वर्ग मीटर /माह ₹ में. ₹.**
01.10.2012 से 30.09.2013	182.87	लागू नही
01.10.2013 से 30.09.2014	190.19	लागू नही
01.10.2014 से 30.09.2015	197.79	230.64
01.10.2015 से 30.09.2016	205.71	239.87
01.10.2016 से 30.09.2017	213.93	249.60

(ii). 01.10.2017 से 30.09.2022 तक पीर पाओ स्थित ट्रेसल में डाली गयी पाईपलाईन की विशेष मार्गाधिकार दरें

अवधि	**ओल्ड पीर पाओ जेटी और पहली रसायन बर्थ में डाली गयी 300 एम एम व्यास की पाईपलाईन की दर प्रति वर्ग मीटर /माह ₹ में.**	**दूसरी रसायन बर्थ में डाली गयी 300 एम एम व्यास की पाईपलाईन की दर प्रति वर्ग मीटर /माह ₹ में. `.**
01.10.2017 से 30.09.2018	222.49	259.44
01.10.2018 से 30.09.2019	231.39	269.81
01.10.2019 से 30.09.2020	240.65	280.60
01.10.2020 से 30.09.2021	250.27	291.83
01.10.2021 से 30.09.2022	260.28	303.50

टिप्पण:

1. उक्त दरों में सभी कर (जीएसटी, कर आदि), सेवा प्रभार, शास्तियां और ब्याज आदि शामिल नहीं हैं। पट्टाधारकों को इनका, यथा लागू, अलग से भुगतान करना होगा ।
2. आप्टिकल फाइबर केबल के लिए विशेष मार्गाधिकार शुल्क उक्त दरों पर लागू होगा, परंतु परिकलन के लिये चौडाई 1 मीटर के स्थान पर न्यूनतम आधा मीटर ली जायेगी।
3. सारणी में दी गयी दर पाईपलाईन के 300 एम एम के बाहरी व्यास की है और बडे व्यास की पाईपलाईन के लिये दर उसके अनुपात में बढ जायेगी।
4. ट्रेसल पर पाईप लाईन के लूप की लम्बाई के लिये मार्गाधिकार, ट्रेसल में मार्गाधिकार के लियेलागू दर के 60% पर प्रभारित की जायेगी।
5. उक्त दर ट्रेसल में वर्तमान में डाली गयी पाईपलाईनों / मैरीन लोडिंग आर्म के लिये दरमान होगी और भविष्य में मार्गाधिकार अनुमति के लिये आरक्षित दर होंगी।
6. न्यूनतम गांरटीकृत आद्योपांत (एमजीटी) प्राप्त करने में असफल रहने की स्थिति में, प्रयोक्ता कम मात्रा के लिए अतिरिक्त घाटशुल्क प्रभारों का भुगतान करके पत्तन की प्रतिपूर्ति करेगा।
7. मार्गाधिकार अनुमति से संबंधित अन्य पहलुओं को मौजूदा भू नीति दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जायेगा।
8. चाहे मांग की गई है या नहीं, किरायेदारों/पट्टाधारकों/लाइसेंस धारकों द्वारा किसी महीने के मार्गाधिकार / विशेष मार्गाधिकार शुल्क का भुगतान अगले महीने के 15वें दिन को या उससे पहले करना होगा।
9. मार्गाधिकार शुल्क परिकलन का सूत्र इस प्रकार होगा:

   माह मार्गाधिकार प्रति वर्ग मीटर प्रति माह =

   पाइपलाइन की लंबाई x (इसुलेशन सहित बाहरी व्यास) x लागू दर

   ----

   300 एम एम

10. प्रत्येक अक्तूबर महीने में मार्गधिकार शुल्क में 4% की वृद्धि की जायेगी। 4% की पहली वृद्धि 01.10.2013 से प्रभावी होगी।
11. ट्रेसल पर पाईप लाईन के लूप की लम्बाई के लिये लागू दर संबंधित ट्रेसल में मार्गाधिकार के लिये लागू दर का 60% पर प्रभारित की जायेगी।
12. अंतरीय क्षेत्रों के बकायों पर ब्याज तब तक लागू नहीं होगा जब तक मांग सूचना नहीं भेज दी जाती। यदि पार्टी मांग सूचना/बीजक के अनुसार मांग सूचना/बीजक की तारीख से 3 महीने के निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में असफल रहती है, तो मौज़ादा नीति के अनुसार 18% प्रति वर्ष की दर पर अथवा बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिये गए निर्णय के अनुसार ब्याज लिया जायेगा।"

5. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश अलग से सूचित किया जायेगा तथा एमबीपीटी और संबंधित किरायेदारों/पट्टाधारकों को बाद में संसूचित किया जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[सं. विज्ञापन-III/4/असा./420/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd November, 2021

No. TAMP/59/2021-MBPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of Schedule of Rates for way leave / special way leave fees of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/59/2021-MBPT

Mumbai Port Trust **- - -** **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 1st day of November, 2021)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) vide its letter dated 14 October, 2021 seeking approval for fixation of Schedule of Rates for way leave / special way leave fees of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022.

2. The proposal of MBPT is based on the amended Land Policy Guidelines, 2015. The proposal was taken on consultation with the relevant users/ tenants/ lessees. Users/ User organization have made their submissions during the proceeding of the case. The MBPT has responded to the comments of users/ users organizations.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case and based on a collective application of mind, this Authority has passed a speaking Order disposing of the proposal filed by the MBPT for fixation of Schedule of Rates for way leave / special way leave fees of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022

4. This Authority desires that the following Way leave Schedule for MBPT prescribing Schedule of way leave charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2012 may be notified without waiting for notification of the Speaking Order:

"

SCHEDULE OF WAY LEAVE CHARGES FOR THE PIPELINES LAID ON TRESTLE AT PIR PAU

(i). Special Way Leave rates for the pipelines laid on Trestle at Pir Pau for the period 01.10.2012 to 30.09.2017

Period	**Rate per sq m./month for 300 mm dia pipeline laid at Old Pir Pau Jetty & First Chemical Berth** **₹.**	**Rate per sq m./month for 300 mm dia pipeline laid at Second Chemical Berth** **₹.**
01.10.2012 to 30.09.2013	182.87	N.A
01.10.2013 to 30.09.2014	190.19	N.A
01.10.2014 to 30.09.2015	197.79	230.64
01.10.2015 to 30.09.2016	205.71	239.87
01.10.2016 to 30.09.2017	213.93	249.60

(ii). Special Way Leave rates for the pipelines laid on Trestle at Pir Pau for the period 01.10.2017 to 30.09.2022

	Rate per sq m./month for 300 mm dia pipeline laid at Old Pir Pau Jetty & First Chemical Berth **₹.**	**Rate per sq m./month for 300 mm dia pipeline laid at Second Chemical Berth** **₹.**
01.10.2017 to 30.09.2018	222.49	259.44
01.10.2018 to 30.09.2019	231.39	269.81
01.10.2019 to 30.09.2020	240.65	280.60
01.10.2020 to 30.09.2021	250.27	291.83
01.10.2021 to 30.09.2022	260.28	303.50

Notes:

1. Above rates are exclusive of all Taxes (GST, Taxes, etc.), Service Charges, Penalties, and Interest etc. Same are separately payable by lessees, as may be applicable.
2. The Special Way Leave fee for Optical Fiber Cable will be applicable as per the above rates but taking the width subject to a minimum of half a meter for computation.
3. The rate indicated in the table is for 300 mm external dia of pipeline and the rate will increase proportionately for pipelines of higher dia.
4. The way leave fee for the loop length of the pipeline on trestle will be charged at 60% of the rate applicable for the way leave fee on trestle.
5. The above rates would be the SoR for the pipelines/marine loading arms presently laid on trestle and form the reserve rate for grant of way leave permissions in future.
6. In the event of failure of achieve Minimum Guarantee Throughput (MGT), the user should compensate the port by paying additional wharf age charges for the shortfall quantity.
7. Other aspects related to Right of Way permission will be dealt with as per the extant Land Policy Guidelines.
8. Way Leave/ Special Way Leave fee, whether demanded or not, shall be paid by the lessees/ tenants/ licensees on or before the 15th day of each month succeeding that for which Way Leave / Special Way Leave fee is due.
9. The formula for calculation of way leave fee on trestle is as follows:

   Way Leave fee per sqm per month =

   Length of pipeline x (External dia including insulation) x rate applicable

   ----

   300 mm
10. Way leave fees will increase by 4% every October. First such 4% increase will be effected from 1.10.2013.
11. The rate applicable for loop length of pipeline laid on trestle will be taken at 60% of way leave fee of respective trestle.
12. Interest will not be applicable on the differential areas due to revision till raising of demand notice. If the party fails to pay as per the demand / invoice within 3 months from the receipt of demand notice / invoice, interest will be applicable at 18% per annum as per existing policy or as may be decided by Board from time to time. ”

5. The Speaking Order passed by this Authority will be intimated separately and communicated to the MBPT and the relevant tenants/ lessees in due course of time.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[No. ADVT.-III/4/Exty./420/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.11.16 15:41:08 +05'30'